कार्यालय–जिलाधिकारी,बरेली

पत्र संख्या97/रा0ब0/ल0पू0/2015–16 दिनांक 05-जून,2015

निदेशक
आर0वी0आर0आई0

जनपद–बरेली।

विषयः– राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विभागवार लक्ष्य का निर्धारण।

राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद द्वारा शत–प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि प्राप्त की गयी थी जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है। शासन द्वारा गत वर्ष के लक्ष्य में 10 प्रतिशत की बृद्धि कर वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस जनपद के लिए दीर्घकालीन शुद्ध जमा धनराशि का लक्ष्य 14377.00 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। तदनुसार ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आपके विभाग के लिए ....12.... लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

उपयुक्त होगा कि आप मानक के अनुरूप पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य को अपने अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में वितरित कर दे एवं उन्हें लक्ष्य पूर्ति हेतु उत्तरदायी बनाते हुए उनकी प्रगति की अपने स्तर पर मासिक रूप से नियमित समीक्षा करते हुए शासन के मन्तव्यों के अनुरुप निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायें। लक्ष्य पूर्ति हेतु रणनीति निम्न प्रकार है:–

1– समस्त विभाग अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित कर वेतन बचत समूह योजना के अन्तर्गत डाकघर में उनके आर0डी0 खाते खुलवाते हुए शत–प्रतिशत सदस्यता सुनिश्चित करें।

2– विभागीय कार्य ठेकेदारो से कराने वाले विभाग अपने ठेकेदारों से जमानत के रूप में ली जाने वाली धनराशि डाकघर की दीर्घकालीन प्रतिभूतियों यथा किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0/एक,दो,तीन एवं पॉच वर्षीय टी0डी0 खातों में जमा करायें।

3– आयकर की परिधि में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित कर उनसे आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु एन0एस0सी0/पी0पी0एफ0/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना/5 वर्षीय सावधि जमा में धनराशि जमा करा कर उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें।

4– सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित कर उनको सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली धनराशि में से अधिकाधिक धनराशि एम0आई0एस0/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा करा कर सहयोग प्राप्त करें तथा वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची दिनांक 30–06–2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

5– सम्बन्धित विभाग अपने सम्पर्क में आने वाले व्यवसायियों,लाइसेन्सियों,पेट्रोल पम्प मालिकों,गैस एजेन्सियों,कोटेदारों,अचल सम्पत्ति विकेताओं इत्यादि को डाकघर की बचत योजनाओं में धनराशि जमा कराने हेतु प्रेरित कर सहयोग प्राप्त करें।

6– जिला विघालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त इंटर कालेजो/हाईस्कूलों में जहॉ संचायिका योजना लागू नही है,में योजना लागू कराये तथा वेतन बचत समूह योजना भी लागू कराते हुए शत–प्रतिशत सदस्यता सुनिश्चित करें।

आई0वी0आर0 डायरी सं0 1028 दिनांक 24/6/15

मु0प0अ0 कार्यालय
डायरी सं0 324
दिनांक 22/6/14

2

7— वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गयी **सुकन्या समृद्धि योजना के अर्न्तगत 10 वर्ष तक की बालिकाओं के अभिभावको को प्रेरित कर उनके खाते डाकघर अथवा बैंक में खुलवाने के प्रयास किये जाए।** इस योजना में पी0पी0एफ0योजना की भॅांति ही आयकर की धारा 80 सी के अर्न्तगत नियमानुसार छूट अनुमन्य है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यकम की ओर अपना व्यक्गित ध्यान देते हुए उपरोक्त रणनीति के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कर अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति करने में सफल होंगे।

शासन द्वारा निर्धारित निम्न मानक के अनुसार प्रतिमाह लक्ष्य की पूर्ति करते हुए प्रत्येक माह की 4 तारीख तक सत्यापित प्रगति रिपोर्ट सहायक निदेशक (बचत) के माध्यम से मेरे अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि आपकी प्रगति की समीक्षा की जा सके।

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
मानक प्रतिषत–	3	5	7	8	8	8
	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
	9	10	10	10	10	12

(गौरव दयाल)
जिलाधिकारी
बरेली

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली।
2— अपर निदेशक,राष्ट्रीय बचत,उ0प्र0,लखनऊ।
3— उप निदेशक,राष्ट्रीय बचत,बरेली मण्डल,बरेली।
4— मुख्य विकास अधिकारी,बरेली।
5— प्रभारी अधिकारी,रा0ब0,बरेली।
6— सहायक निदेशक(बचत),बरेली को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त विभागों की संकलित सूचना प्रत्येक माह मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी
बरेली

स0 प्र0 अ0 (ई–I) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित

सिब्बंदी अनुभाग (प्रथम)
डायरी सं० 270
दिनांक 06/07/15
भा.प.चि.अ.सं., इज्जतनगर–243122 (उ0प्र0)

स0 प्र0 अ0 (ओ0पी0आर0)

स0 प्र0 अ0 (ई–I)